

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 02/2025 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ).-केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है-

- (i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, दिसंबर 2024 माह के लिए, 22 जनवरी, 2025 तक:
- (ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परंतुक, अक्टूबर, 2024 से दिसंबर, 2024 की तिमाही के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित पंजीकृत व्यक्तियों के श्रेणी के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख तक, अर्थात्:-

सारणी

क्र . सं	पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में है।	24 जनवरी, 2025
2.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या ओडिशा राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में है।	26 जनवरी, 2025

[फ सं. सीबीआईसी-20001/10/2024-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव